शंकर बनाम सरकार

63/2024

11/7/24 वकील प्रार्थी को बहस प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम [illegible] प्रार्थी को आदेश [illegible] स्वीकार किया जाता है / [illegible] निर्णय प्रकरण से [illegible] [illegible] [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप[illegible]कारी
जयपुर [illegible] [illegible]गानेर

Read
[illegible]
14/7/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगनेर
जयपुर महानगर जयपुर।

प्रार्थना पत्र संख्याः .... / 2024

1. शंकर लाल पुत्र श्री जेतराम उम्र वयस्क,
2. जगदीश पुत्र श्री जेतराम उम्र वयस्क,

समस्त निवासीगण– ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

........प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव।

..........अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती</u>

<u>अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट</u>

श्रीमानजी,

Jagdish

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:40:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 63/2024
निर्णय दिनांक :11.07.2024

1 शंकर लाल पुत्र जेतराम उम्र वयस्क
2 जगदीश पुत्र जेतराम उम्र वयस्क
समस्त निवासीगण ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2 जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के बुजुर्गो की विरासत की खातेदारी कृषि भूमि जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 185 रकबा 7 बीस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी स्थित ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 334 रकबा 0.17 हैक्टेयर लिपीकीय त्रुटि दुरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मुमकीन दर्ज से गैर मुमकीन आबादी दुरुस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र सुना गया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के बुजुर्गो की विरासत की खातेदारी कृषि भूमि जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 185 रकबा 7 बीस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी स्थित ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 334 रकबा 0.17 हैक्टेयर लिपीकीय त्रुटि दुरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मुमकीन दर्ज से गैर मुमकीन आबादी दुरुस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्तापर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थीगण की वाके ग्रामनन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 334 रकबा 0.17 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकीन के स्थान पर गैर मुमकीन आबादी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:40:11 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर